—:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—

पृष्ठां.क्रं0 9122 /एक—6—12/11 उज्जैन, दिनांक /11/2026

प्रतिलिपि :—

25 NOV 2026

.....

समस्त न्यायिक अधिकारीगण जिला उज्जैन

की ओर पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन द्वारा अपराधों की केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रक्रिया एवं आवश्यक सावधानियों के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक 554 दिनांक 04.11.2026 की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्र./एस.पी./उज्जैन/रीडर/ 554 /2026 दिनांक :- 04/11/2026

--:: परिपत्र --::

यह संज्ञान में आया है कि जिले के कुछ पुलिस थानों द्वारा अपराधों की केस डायरी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बंद एवं सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने के स्थान पर खुली अवस्था में न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही हैं, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है। केस डायरी एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय शासकीय अभिलेख है। अतः इसे न्यायालय में प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रक्रिया एवं आवश्यक सावधानियों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

अतः समस्त थाना प्रभारियों एवं विवेचकों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करें :–

1. प्रत्येक केस डायरी को उचित फाइल कवर में रखकर, क्रमवार पेजिंग एवं पूर्ण इंडेक्स सहित तैयार किया जाए। इंडेक्स में समस्त कार्यवाही पर्चों का संक्षिप्त विवरण अंकित हो।
2. केस डायरी में न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने तक की गई विवेचना एवं कार्यवाही का पर्चा लेख, विवेचना की अद्यतन स्थिति तथा प्रकरण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाएं।
3. प्रत्येक केस डायरी को उचित लिफाफे में रखकर विधिवत बंद एवं सीलबंद करने के पश्चात ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। जहां तक संभव हो, विवेचक स्वयं केस डायरी प्रस्तुत करें।
4. केस डायरी न्यायालय में भेजने एवं वापस प्राप्त करने के संबंध में थाने के रोजनामचा सान्हा में स्पष्ट इंद्राज किया जाए।
5. बालक द्वारा बाल्यावस्था में किए गए अपराधों को उसके वयस्क होने के पश्चात के आपराधिक रिकॉर्ड में सम्मिलित न किया जाए। इस संबंध में किशोर न्याय अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध करते समय उनके वास्तविक एवं सत्यापित मोबाइल नंबर ही अंकित किए जाएं। किसी भी स्थिति में काल्पनिक अथवा गलत मोबाइल नंबर अंकित न किए जाएं।

थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक केस डायरी निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पूर्ण, सुव्यवस्थित एवं सीलबंद हो। इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विवेचक एवं उत्तरदायी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

NOV 2026

(प्रदीप शर्मा)
पुलिस अधीक्षक
जिला उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. **माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय, जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन - कृपया सादर सूचनार्थ।**
2. **रक्षित निरीक्षक, जिला उज्जैन** - आदेशांकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. **समस्त राजपत्रित अधिकारी पुलिस (शहर/देहात), उज्जैन** - अधीनस्थ थानों में निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु।
4. **समस्त थाना प्रभारी (शहर एवं देहात), जिला उज्जैन** - पालनार्थ।
5. **रनि./मुलि./डीसीबी./डीसीआरबी./डीएसबी.डीपीओ, उज्जैन** - सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

पुलिस अधीक्षक
जिला उज्जैन (म.प्र.)